ठअ फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोंडेन्ट
श्री गौरीशंकर मालू पुत्र श्री रामप्रसाद मालू जाति मालू निवासी नरायना जिला जयपुर।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 63 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.11.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 12.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सिरोही जिले में डीएफसी परियोजना मार्ग बनाने के लिए कितने हरे पेडों को काटने की स्वीकृति जारी की गई एवं कितने पेड उनकी क्षतिपूर्ति में लगाने के आदेश जारी किए गए एवं मौके पर डीएफसीसीआईएल व रेलवे विभाग ने कितने पेड लगाए, जिनमें से कितने हरे पेड खडे है, से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 12.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सिरोही जिले में डीएफसी परियोजना मार्ग बनाने के लिए कितने हरे पेडों को काटने की स्वीकृति जारी की गई एवं कितने पेड उनकी क्षतिपूर्ति में लगाए जाने के आदेश जारी किए गए एवं मौके पर डीएफसीसीआईएल व रेलवे विभाग ने कितने पेड लगाए, जिनमें से कितने हरे पेड खडे है, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। उपरोक्त सूचना उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत से सम्बन्धित होने से ए.डी.एम सिरोही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 340 दिनांक 22.06.2021 को प्रकरण उक्त कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया। पत्रावली का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 392 दिनांक 30.07.2021 को उपरोक्त सूचना अपीलांट को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2022.01.17 16:37:30 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner